राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

32
9/1/2020

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 जयपुर,दिनांकः 06 JAN 2020

–:परिपत्रः–

**विषयः–समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।**

**राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है।**

सभी प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबंध में आपके विभाग में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को इन बिन्दुओं की पालना करने हेतु सुनिश्चित करावें:–

1. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी 2020 की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी 2020 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है एवं 31 जनवरी पश्चात् IPR MODULE को बन्द कर दिया जावेगा। उसके बाद अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरें जायेंगे।

2. जो अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण की सूचना प्रस्तुत नही करेगें, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेस कलीयरेंस नही दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नही किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायतशाषी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू है।

3. जिन राजपत्रित अधिकारियों ने अपना वर्ष 2019 का अचल सम्पति विवरण ऑन–लाईन नहीं भरा था एवं उनके द्वारा अपना वर्ष 2020 का अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी 2020 तक ऑन–लाईन भरने पर उनको वर्ष 2019 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जावेगी।

4. समस्त राज्य सेवा अधिकारियों को SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों (निगम बोर्ड, स्वायतशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों कार्यरत अधिकारियों सहित) को अपनी अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा उपर वर्णित समय सीमा में पूर्व ऑन–लाईन पूर्ति कराये जाने हेतु निर्देशित करें।

उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण उपर्युक्त समय सीमा में नही भरे जाने पर प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेन्स कलीयरेन्स नही दी जावेंगी एवं पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नही दी जावेंगी।

**(रोली सिंह)**
**प्रमुख शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।

Ashish

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी,अतिरिक्त कलक्टर,उपखण्ड अधिकारी,सहायक कलक्टर राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

Ashish

संयुक्त शासन सचिव

# कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 1(1)अनु0प्रथम/ए/2020/डी–32 दिनांकः 09 जनवरी,2020

प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक(क–1/गो0प्र0)विभाग,राज0सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांकःप.13(76) कार्मिक/क–1/गो0प्र0/2011 दिनांक 06 जनवरी,2020 की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियन्ता एंव अतिरिक्त सचिव,सार्वजनिक निर्माण विभाग,राज0 जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता पथ/एन.एच./पीएमजीएसवाई/भवन/गुण नियत्रंण/विद्युत, सानिवि,राज0 जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान राज्य सड़क विकास एंव निर्माण निगम लिमिटेड़ जयपुर।
4. मुख्य वास्तुविद,सार्वजनिक निर्माण विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार,सार्वजनिक निर्माण विभाग,राजस्थान,जयपुर।
6. उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग,राजस्थान,जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता(बीओटी/ओपीआरसी/यांत्रिक/प्रशासन/वर्ल्ड बैंक/पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग,राज0 जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग,संभाग..........................................(समस्त) ।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,विद्युत–जयपुर/जोधपुर/यांत्रिक ,सार्वजनिक निर्माण विभाग,राज0 जयपुर।
10. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता भवन/बी.ओ.टी./पथ–I,II /एन.एच./पी.एम.जी.एस.वाई./डिएनटी एण्ड रोड सैफटी, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग,जयपुर।
11. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत (सिविल/यांत्रिक/विद्युत).................... (समस्त) ।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सिविल/यांत्रिक/विद्युत)............ (समस्त) ।
13. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय/जांच) सार्वजनिक निर्माण विभाग,राज0 जयपुर ।

9.01.2020

( अक्षय कुमार जैन )
अधीक्षण अभियंता एंव तक0 सहायक–प्रथम
सा0नि0वि0राज0 जयपुर।
taceaspwd@rediffmail.com.

# कार्यालय मुख्य अभियंता,सार्वजनिक निर्माण विभाग,राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांकः–एफ 1(1)अनु0प्रथम/ए/2014/डी–32 दिनांकः 09 जनवरी,2020

प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक(क–1/गो0प्र0)विभाग,राज0सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांकःप. 13(76) कार्मिक/क–1/गो0प्र0/2011 दिनांक 06 जनवरी,2020 की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव,ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग,राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव शासन सचिव, स्वायत्त शासन एंव नगरीय विकास विभाग,जयपुर ।
3. महाप्रबन्धक, (प्रशासन) आमेर विकास प्राधिकरण,जयपुर।
4. परियोजना निदेशक,राज0शहरी आधारभूत विकास परियोजना(आर.यू.आई.डी.पी.) ए.वी.एस. बिल्डिंग, जवाहर सर्किल,जे.एल.एन.मार्ग,जयपुर ।
5. मुख्य अभियन्ता,राज0 हैल्थ सिस्टम्स डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट,तृतीय तल,तिलक मार्ग, सी–स्कीम,जयपुर ।
6. प्रबन्धक (प्रशासन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,जी–5 व 6,सैक्टर–10 द्वारका नई दिल्ली 110075.
7. उपायुक्त (प्रशासन) जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर ।
8. प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड़ ,जयपुर ।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण,जयपुर ।
10. सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर ।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नाथद्वारा टैम्पल प्रन्यास ,नाथद्वारा ।
12. रजिस्ट्रार ,कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/उदयपुर ।
13. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।सचिव नगर विकास न्यास कोटा/बीकानेर ।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नगर निगम ,जयपुर ।
15. प्रबन्धक (पी.एण्ड.ए.) राज0 स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल लि0,4–मीरां मार्ग,उदयपुर।

को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ इस विभाग के समस्त प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारियो से प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपनी अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने के प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित अचल सम्पत्ति विवरण प्राप्त कर परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार इस विभाग द्वारा नियुक्त किये गये नोड्ल अधिकारी को 31 जनवरी से पूर्व ही प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें। इसके अलावा स्वंय अधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण **SS0-ID** से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर पूर्ण सूचना इस कार्यालय को तीन दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें। कृपया कार्मिक विभाग के उक्त पत्र की पूर्णतया पालना भी आपके अधीनस्थ इस विभाग के कार्यरत अधिकारियों के संदर्भ में सुनिश्चित करावें। जो अधिकारी उक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराते है उनकी सूची एंव राज्य आदेश की अवहेलना के संदर्भ में कार्यवाही प्रस्ताव भी अविलम्ब आवश्यक रूप से भिजवावें ।

09.01.2020

( अक्षय कुमार जैन )
अधीक्षण अभियंता एंव तक0 सहायक–प्रथम
सा0नि0वि0राज0 जयपुर।
taceaspwd@rediffmail.com